मुख्यमंत्री का विधायकों के साथ बजट बैठकों का सिलसिला जारी रहा

विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों की ''प्रगति व भविष्य'' की कार्य योजना पर चर्चा हुई

जयपुर, 5 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगामी वर्ष 2026-27 के बजट को विकासोन्मुखी और जन केन्द्रित बनाने की दिशा में सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जिलेवार विधायकों और प्रत्याशियों से संवाद किया। उन्होंने अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, नागौर, डीडवाना-कुचामन, टोंक, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, अलवर, खैरथल-तिजारा, बहरोड़ और दौसा जिलों के विधायकों एवं प्रत्याशियों के साथ मैराथन बैठकें कर बजट के सुझावों पर विस्तृत चर्चा की।

इस दौरान महिला, युवा, किसान और गरीब सहित, सभी वर्गों के कल्याण से संबंधित योजनाओं और कार्यों के साथ-साथ संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की प्रगति और भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा की गई और बजट सुझावों पर मंथन किया गया। देर रात तक चली इन बैठकों में विधायकों और प्रत्याशियों ने बजट पर अपने सुझाव दिए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

राज्य सरकार प्रदेश के 200 विधानसभा क्षेत्रों में 8 करोड़ जनता को निरंतर विकास कार्यों की सौगात दे रही है। इन सभी विकास कार्यों को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ पूरा किया जा रहा है और हर योजना का लाभ लाभार्थी तक पहुंचना सुनिश्चित किया जा रहा है।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देर रात तक चली बैठकों में अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, नागौर, डीडवाना, कुचामन, टोंक, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, खैरथल-तिजारा, बहरोड़ व दौसा जिले के विधायकों व प्रत्याशियों के साथ बजट के सुझावों पर विस्तृत चर्चा की।**

रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन आज

जयपुर, 5 जनवरी। राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट के तीसरे एवं अंतिम दिन मंगलवार को राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन होगा। यह कॉन्फ्रेंस भारत के इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है और राजस्थान को डिजिटल इनोवेशन एवं उभरती तकनीकों का हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ की उपस्थिति में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस दौरान राज्य के एआई इकोसिस्टम को मजबूत करने, इनोवेशन को बढ़ावा देने तथा प्रमुख सेक्टर्स में एआई को तेजी से अपनाने के बारे में मंथन होगा और विभिन्न एमओयू भी किए जाएंगे।

- **कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री राजस्थान की एआई/एमएल पॉलिसी 2026 को लॉन्च करेंगे।**

इसके अलावा, राजस्थान की एआई/एमएल पॉलिसी 2026 को भी लॉन्च किया जाएगा। एआई तथा रोजगार एवं कौशल का भविष्य तथा राजस्थान के एआई स्टार्टअप एवं इनोवेशन इकोसिस्टम के उदय से संबंधित विविध विषयों पर विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा करेंगे।

एसआईआर के खिलाफ खुद कोर्ट में जिरह करेगी ममताजी

गंगासागर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प.बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बारे में घोषणा की

कोलकाता, 05 जनवरी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वे एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के खिलाफ खुद कोर्ट में जिरह करेंगी। ममता ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया के नाम पर लोगों के साथ अमानवीय बर्ताव हो रहा है। गंगासागर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ कहा कि मंगलवार को कोर्ट खुलते ही टीएमसी दोबारा अर्जी लगाएगी। इस बार ममता खुद अपनी दलीलों से कोर्ट को समझाने की कोशिश करेंगी। उनके पास लॉ की डिग्री है और वह इसका इस्तेमाल अब सियासी और कानूनी लड़ाई में करने जा रही हैं। ममता का कहना है कि गंभीर रूप से बीमार लोगों को भी लंबी लाइनों में खड़ा किया जा रहा है।

- **ममता बनर्जी ने कहा ''मेरे पास लॉ की डिग्री है और मुझे कानून की पूरी समझ है। मैं बंगाल के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ।''**

ममता बनर्जी के पास आर्ट्स, एजुकेशन और लॉ (एलएलबी) की डिग्री है। वे एक अनुभवी नेता होने के साथ-साथ कानून की समझ भी रखती हैं। ममता का मानना है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से दोषपूर्ण है। उनके मुताबिक, इस एक्सरसाइज की वजह से असली वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। ममता ने चुनाव आयोग को भी चिट्ठी लिखकर इस प्रक्रिया को रोकने की मांग की थी। अब वे सीधे अदालत में खड़े होकर इस मुद्दे पर बहस करना चाहती हैं। इस कदम से वे जताना चाहती हैं कि वे बंगाल के लोगों के अधिकारों के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं।

उत्तर प्रदेश में मंत्रिमण्डल विस्तार की अटकलें और तेज हुई

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्र.मंत्री मोदी की मुलाकात ने इन अटकलों को और बढ़ाया

नयी दिल्ली, 05 जनवरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति भेंट की।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मुलाकात की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें साझा की हैं। एक तस्वीर में योगी प्रधानमंत्री को अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति भेंट कर रहे हैं। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक साल का समय शेष रह गया है और राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोरों पर हैं।

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भी इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए इसे शिष्टाचार भेंट बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, आज नई दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। आपका पाथेय नये उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को और अधिक गति प्रदान करने हेतु सदैव नवीन ऊर्जा का संचार करता है। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक अन्य पोस्ट में बताया कि लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने भी मोदी से मुलाकात की। गुप्ता ने भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ शिष्टाचार भेंट में लद्दाख में जन कल्याण, मुख्य विकास प्राथमिकताओं, अवसंरचना, कनेक्टिविटी, पर्यटन और समावेशी विकास पर चर्चा की।

- **योगी ने एक्स पर मुलाकात की फोटो शेयर की और कहा कि यह शिष्टाचार मुलाकात थी।**

आंध्र प्रदेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लीक हुई गैस में तुरंत आग लग गई। ये देखकर आस-पास रहने वाले लोग और अधिकारी भी घबरा गए। गैस और धुएं का बादल सुमंडा और आसपास के इलाकों में घने कोहरे की तरह फैल गया। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत पास के गांव खाली करवा लिए।

कई लोग पहले ही घरों से भाग गए। वे अपने मवेशियों को भी सुरक्षित जगह पर ले गए। लोगों से बिजली का इस्तेमाल न करने, बिजली के उपकरण चालू न करने और चूल्हा न जलाने को कहा गया है। ओएनजीसी के कर्मचारी लीक को कंट्रोल करने और आग बुझाने के लिए मौके पर मौजूद हैं।

अधिकारियों ने पूरे इलाके को घेर लिया और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

प्र.मंत्री के चादर चढ़ाने के खिलाफ दर्ज याचिका खारिज

नयी दिल्ली, 05 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 814वें सालाना उर्स के दौरान अजमेर शरीफ दरगाह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चादर चढ़ ाने से रोकने की मांग को लेकर पेश याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि याचिका में उठाया गया मुद्दा सुनवाई योग्य नहीं है। वैसे भी यह अप्रासंगिक हो गया है, क्योंकि चादर चढ़ ाने का कार्यक्रम पहले ही हो चुका है।

पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि उसके आदेश का दरगाह से जुड़े अजमेर अदालत में चल रहे दीवानी मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। न्यायालय ने कहा, ''मुकदमा लंबित है, उसे जारी रखें।''

पीठ ने यह भी कहा कि अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ ाना पुरानी परंपरा है।

- **सुप्रीम कोर्ट ने कहा चादर चढ़ाने का कार्य हो चुका है इसलिए यह याचिका अप्रासंगिक हो गई है।**

इसका पालन पिछले प्रधानमंत्रियों ने भी किया है।

यह याचिका हिंदू सेना के तत्कालीन अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की अजमेर अदालत में पहले से दायर लंबित मुकदमे का हिस्सा है, जिसमें दावा किया गया था कि अजमेर शरीफ दरगाह तोड़े गये शिव मंदिर की जगह पर बनायी गयी थी।

गुप्ता ने तर्क दिया था कि केंद्र सरकार ने जहां चादर चढ़ ाने के लिए भेजा है, वह विवादित ढ ांचा है। उनका यह काम न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को कमजोर करता है, जबकि मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है।

हिंदुओं ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अलग देशों के खिलाड़ियों की भागीदारी और क्रिकेट को किसी बड़े राजनीतिक संदेश के लिए इस्तेमाल करने पर एक स्पष्ट रुख़ होता है।

इस बीच, बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के ख़िलाफ़ हो रही आतंकी कार्यवाहियों तथा क्रूरता से भारतीय खिलाड़ी और पूरा देश दुखी एवं स्तब्ध है। खिलाड़ियों ने वहाँ हिंदुओं को दी जा रही यातनाओं और उनकी हत्याओं को लेकर गहरी चिंता और बेचैनी ज़ाहिर की है। यह भी देखा गया है कि बांग्लादेश की क़ानून-व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियों ने अल्पसंख्यक समुदायों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कुछ खास नहीं किया है।

साल के पहले ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

घोषित करने के साथ ही, जोधपुर और जयपुर में एक-एक मजिस्ट्रेट कोर्ट को इवनिंग कोर्ट के रूप में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करने की घोषणा की गई थी।

हाईकोर्ट में इस साल के पहले कार्यदिवस पर जजों ने मुकदमों की सुनवाई की, लेकिन कोई भी वकील पैरवी के लिए नहीं आया। ऐसे में अधिकांश प्रकरणों में आगामी तारीख दी गई और सिर्फ उन्हीं प्रकरणों में सुनवाई हुई, जिसमें पक्षकार स्वयं पेश हुए। इस संबंध में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव सोगरवाल ने कहा कि मुकदमों की सुनवाई मशीनी अंदाज में नहीं की जा सकती है। इसमें जज और वकील पूरी तरह से मस्तिष्क का उपयोग कर बहस और फैसला करते हैं। ऐसे में लगातार पांच दिन काम करने के बाद शनिवार को उन्हें अवकाश चाहिए होता है। रविवार को वकील सोमवार को लगने वाले मुकदमों की पैरवी की तैयारी करते हैं। ऐसे में उन्हें सिर्फ शनिवार का ही अवकाश मिल पाता है।

एसआई भर्ती- ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में एसओजी थाना जयपुर में प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। इस मामले में पहले ही मुख्य आरोपी डालूराम मीणा और हरसनराम देवासी सहित, अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। वहीं, जांच के दौरान सामने आया कि इस प्रकरण में वांछित सहयोगी आरोपी सुनील कुमार विश्नोई निवासी सांचौर जिला जालोर (वर्तमान में निलंबित द्वितीय श्रेणी अध्यापक, विषय हिन्दी) की भूमिका संदिग्ध पाई गई। इसके बाद एसओजी ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। एडीजी एसओजी ने बताया कि आरोपी सुनील कुमार विश्नोई पूर्व में भी एसओजी जयपुर में शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 से जुड़े एक अन्य प्रकरण में गिरफ्तार हो चुका है। उस मामले में चयन कराने के बदले राशि लेने के आरोप थे। वर्तमान प्रकरण में भी उससे गहन पूछताछ कर नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। एसओजी ने स्पष्ट किया है कि भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और फर्जीवाड़े के मामलों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और जांच लगातार जारी है।

केन्द्र सरकार ने चार वकीलों को हाईकोर्ट में जज बनाया

सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम की सिफारिश के अनुसार यह फैसला किया गया है

नई दिल्ली, 05 जनवरी। देश के विभिन्न हाई कोर्ट में जजों की कमी को दूर करने और न्यायिक कामकाज में तेजी लाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने सोमवार को एक अहम कदम उठाया। राष्ट्रपति ने पटना, इलाहाबाद और उत्तराखंड हाई कोर्ट में चार अधिवक्ताओं की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इसमें तीन वकीलों को स्थायी जज और एक वकील को अतिरिक्त जज के रूप में नियुक्त किया गया है। केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए अधिसूचना जारी की है।

केन्द्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने एक्स पर कहा कि सीजेआई से परामर्श के बाद अधिवक्ता रितेश कुमार और प्रवीण कुमार को पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है।

मंत्री ने बताया कि अधिवक्ता जय कृष्ण उपाध्याय को इलाहाबाद हाई कोर्ट का न्यायाधीश और अधिवक्ता सिद्धार्थ साह को उत्तराखंड हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। फरवरी 2025 में, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने रितेश कुमार सहित कई अधिवक्ताओं को पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

इसी प्रकार, अधिवक्ता जय कृष्ण उपाध्याय का नाम सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में पदोन्नति के लिए अनुशंसित नामों में शामिल था।

- **केन्द्र सरकार ने इलाहाबाद, पटना, व उत्तराखंड हाईकोर्ट में ये नियुक्तियां की हैं।**

अमेरिकी उपराष्ट्रपति के घर पर हमला

वॉशिंगटन, 05 जनवरी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के ओहायो वाले घर पर हमला हुआ है। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। मामले की जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि हमले के वक्त उपराष्ट्रपति वैंस का परिवार घर पर नहीं था। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों का मानना है कि हमलावर व्यक्ति उपराष्ट्रपति के घर में नहीं घुसा था।

स्थानीय समाचार आउटलेट्स की तस्वीरों में जेडी वेंस के घर की खिड़कियों को नुकसान पहुंचा हुआ दिखा, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में क्या हुआ था। सीएनएन ने पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया कि अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या कोई व्यक्ति वैंस या उनके परिवार को निशाना बना रहा था। वाइट हाउस और सीक्रेट सर्विस भी इस घटना पर जानकारी देगा।

सीक्रेट सर्विस के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमलावर व्यक्ति, जो एक वयस्क पुरुष है और जिसकी पहचान नहीं हुई है को हिरासत में लिया गया है। यह घटना आधी रात के कुछ समय बाद हुई। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने सीएनएन को बताया कि घटना होने से पहले ही वैंस परिवार शहर छोड़ चुका था।

- **घर की खिड़कियों के शीशे टूटे, एक गिरफ्तार।**

असम चुनाव...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि संगठन को सुव्यवस्थित करने, अनुभवी वरिष्ठ नेताओं को आगे लाने की जरुरत है, साथ ही ऐसी टीम की ज़रूरत है, जो प्रभावी ढंग से फ़ैसले ले सके और भाजपा के दोनों बड़े नेताओं को चुनौती दे सके। असम, जहाँ जीत हासिल करना बहुत मुश्किल है, प्रियंका गांधी के लिए एक कड़ी परीक्षा है। कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो प्रियंका को असफल होते देखना चाहते हैं, लेकिन पार्टी के अनुभवी नेताओं का कहना है कि चुनाव जीतने की कुंजी सही प्रबंधन में ही छिपी होती है।

'अब यही है मेरी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन. वी. अंजनिया की पीठ ने कहा, ''जिन लोगों पर गैरकानूनी गतिविधि या आतंकवादी गतिविधि की योजना बनाने, उसे निर्देशित करने या उसे आगे बढ़ाने का आरोप है, उनकी कानूनी स्थिति उन लोगों से अलग होती है, जिनकी भूमिका केवल किसी और स्तर पर मदद करने या भाग लेने तक सीमित बताई गई है। ऐसे अंतर को नज़रअंदाज़ करना अपने आप में मनमाना फैसला होगा।''

ख़ालिद की साथी बानो ज्योत्सना लाहिरी ने एक्स पर लिखा कि कोर्ट के फ़ैसले के बाद जब उन्होंने ख़ालिद से बात की, तो उन्होंने खालिद को बताया कि वे मंगलवार को तिहाड़ जेल जाकर उनसे मुलाक़ात करेंगी, जहाँ वह बंद हैं।

उमर ने कहा, ''मुझे बहुत खुशी है कि बाकी लोगों को ज़मानत मिल गई। बहुत राहत महसूस हो रही है।'' जब लाहिरी ने बताया कि वे मंगलवार को तिहाड़ जेल में ''मुलाक़ात'' के लिए आएँगी, तो उमर ने कहा, ''ठीक है, आ जाना। अब यही ज़िंदगी है मेरी।''

'जरुरी न हो तो ईरान न जाएं'

नयी दिल्ली, 05 जनवरी। भारत ने ईरान में पिछले कुछ दिनों से चल रहे व्यापक विरोध प्रदर्शनों और घटनाक्रमों के मद्देनजर भारतीय नागरिकों को वहां की अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है।

विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए, भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अगली सूचना तक ईरान की गैर-ज़रूरी यात्रा से बचें।

मंत्रालय ने कहा है कि ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों को सावधानी बरतने, विरोध प्रदर्शन या प्रदर्शनों वाले इलाकों से बचने और खबरों के साथ-साथ तेहरान में भारतीय दूतावास की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल पर नज़र रखने की सलाह दी जाती है।

वक्तव्य में कहा गया है कि ईरान में रेजिडेंट-वीज़ा पर रहने वाले भारतीय नागरिकों को भी सलाह दी जाती है कि अगर उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है, तो वे भारतीय दूतावास में पंजीकरण करवा लें।

- **ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने एडवाइज़री जारी की।**

उमर खालिद ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को चुनौती देते हुए, अलग-अलग स्पेशल लीव पिटीशंस दायर की थीं। उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि ''विरोध करने का अप्रतिबंधित अधिकार'' सार्वजनिक व्यवस्था पर असर डाल सकता है और यह माना था कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि उन दंगों के पीछे एक समन्वित (को-ऑर्डिनेटेड) साजिश थी, जिनमें दिल्ली में 53 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए।

ट्रंप ने क्यूबा, कोलंबिया और ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कोलंबिया पर एक तीखी टिप्पणी करते हुए, ट्रंप ने उसके नेतृत्व पर आरोप लगाया कि वह बड़े पैमाने पर कोकीन का उत्पादन करवा रहा है, जिसे अमेरिका भेजा जाता है।

उन्होंने कहा, ''कोलंबिया भी बहुत बीमार है और एक बीमार आदमी द्वारा चलाया जा रहा है, जो कोकीन बनाना पसंद करता है और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका को बेचना भी पसंद करता है।''

जब उनसे पूछा गया कि क्या वॉशिंगटन प्रतिक्रिया में कोई ऑपरेशन शुरू कर सकता है, तो ट्रंप ने कहा, ''यह बात मुझे सुनने में अच्छी लगती है, वर्तमान स्थिति ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। वह इसे बहुत समय तक नहीं कर पाएगा।''

ट्रंप ने कोलंबिया, वेनेज़ुएला और क्यूबा को एक क्षेत्रीय मादक पदार्थ नेटवर्क का हिस्सा बताया और कहा, ''हमारे पीछे ही एक ड्रग साम्राज्य था, अब अमेरिका इसे नष्ट कर रहा है।''

मैक्सिको पर, ट्रंप ने कहा कि शक्तिशाली मादक पदार्थ तस्कर गिरोह देश के बड़े हिस्सों पर कब्जा जमाए हुए हैं और उन्होंने मैक्सिको सरकार पर इनसे प्रभावी ढंग से निपटने में विफल होने का आरोप लगाया।

ट्रंप ने कहा, ''ये गिरोह ही मैक्सिको को चला रहे हैं, चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं।''

उन्होंने दावा किया कि उन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी से लड़ने के लिए मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया शिनबाम को अमेरिकी सैन्य सहायता की बार-बार पेशकश की है। उन्होंने कहा, ''जब भी मैंने उनसे बात की, मैंने सैनिक भेजने की पेशकश की, पर उन पेशकशों को अस्वीकार कर दिया गया।''

ट्रंप बोले, ''वे चिंतित हैं। वे थोड़ी डर भी रही हैं।''

ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर मैक्सिको अधिक निर्णायक कदम नहीं उठाता है तो परिणाम भुगतने पड सकते हैं, यह नोट करते हुए कि अवैध नशीली दवाएं मैक्सिकन क्षेत्र के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका में आ रही हैं। उन्होंने कहा, ''मैक्सिको को अपनी स्थिति ठीक करनी होगी।''

राष्ट्रपति ने कहा कि जरुरी हुआ तो वॉशिंगटन वेनेजुएला से बाहर ऑपरेशन का विस्तार करने के लिए तैयार है। वे बोले ''हम एक दूसरे हमले के लिए तैयार थे, यह विकल्प टेबल पर तो तैयार है, यदि क्षेत्रीय सरकारें सही तरीके से व्यवहार नहीं करतीं हैं तो।''

ट्रंप ने जोर दिया कि हमारा उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता है, न कि अधिग्रहण। हमारे आसपास के देशों से हमारा भारी सरोकार है।

यह टिप्पणी ट्रंप की इस तैयारी को रेखांकित करती है कि वे आर्थिक दबाव, सैन्य विकल्प और कठोर कूटनीतिक चेतावनियों का उपयोग करके उन देशों के साथ अमेरिकी रिश्तों को नए सिरे से आकार देना चाहते हैं, जिन्हें वे अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं।

दिल्ली में घना कोहरा, वायु प्रदूषण में भारी वृद्धि

नयी दिल्ली, 05 जनवरी। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार सुबह घने कोहरे की चादर छायी रही। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खराब श्रेणी में बना रहा, जिससे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाईअड्डे पर उड़ान संचालन में बाधा आयी।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, सुबह आठ बजे तक दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 260-262 रहा और लगातार दूसरे दिन भी यह खराब श्रेणी में बना रहा। कई इलाकों में प्रदूषण स्तर चिंताजनक रहा।

घने कोहरे और धुंध से सुबह दृश्यता कम कर दी। इस कारण आईजीआई हवाईअड्डे पर कई उड़ानें देरी से उड़ी। अधिकारियों ने यात्रियों को यात्रा से पहले उड़ान का शेड्यूल जांच करने की सलाह दी है।

अडानी पावर को सुप्रीम कोर्ट में मिली बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया

नयी दिल्ली, 05 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने अडानी पावर को राहत देने से इनकार करने वाले गुजरात उच्च न्यायालय के 28 जून 2019 के फैसले को रद्द कर दिया है।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। उल्लेखनीय है कि यह मामला गुजरात के मुंद्रा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ैड) यूनिट से घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) को आपूर्ति की जाने वाली बिजली पर सीमा शुल्क लगाने से जुड़ा है।

न्यायालय इस बात की जांच कर रहा था कि क्या गुजरात उच्च न्यायालय का अपने 2015 के पुराने फैसले के प्रभाव को सीमित करना और 2010 के बाद एसीज़ैड से डीटीए को दी जाने वाली बिजली पर लगाये गये सीमा शुल्क को चुनौती देने वाली अदानी पावर की व्यापक याचिका को खारिज करना सही था।

अडानी पावर मुंद्रा एसीज़ैड के भीतर एक विशाल कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट चलाती है। यह इकाई एसीज़ैड के भीतर और गुजरात सहित अन्य राज्यों की वितरण कंपनियों को बिजली की आपूर्ति करती है। विवाद तब शुरू हुआ, जब सीमा शुल्क ढ ांचे में बदलाव कर एसीज़ैड से बाहर (घरेलू बाजार में) जाने वाली बिजली पर शुल्क लगा दिया गया, जबकि विदेशों से भारत में आयात होने वाली बिजली पर ऐसा कोई शुल्क नहीं था।

सुनवाई के दौरान अडानी पावर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम और अन्य वकीलों ने तर्क दिया कि यह शुल्क भेदभावपूर्ण है और एसीज़ैड ढ ांचे के सिद्धांतों के खिलाफ है। केन्द्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राघवेन्द्र पी. शंकर और अन्य वकीलों ने इस शुल्क का बचाव किया और उच्च न्यायलय के तर्क का समर्थन किया।

इससे पहले 2015 में, गुजरात उच्च न्यायालय ने शुल्क लगाने के तंत्र के एक हिस्से को रद्द कर दिया था और कहा था कि अडानी पावर जून 2009 से सितंबर 2010 के बीच की अवधि के लिए सीमा शुल्क से छूट पाने की हकदार है। उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से इनकार करने के बाद उस फैसले को अंतिम मान लिया गया था।

- **गुजरात सरकार ने एसई जैड से डीटीए को बिजली सप्लाई पर कस्टम ड्यूटी लगाई थी, इसके खिलाफ अडानी पावर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, याचिका को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था।**

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908